



2026:AHC:31250-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - **383/2026**

दीपक राय याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: शीतलेश पांडे, शिवेंद्र नाथ सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता), जगन्नाथ मौर्य, मेहुल खरे के लिए प्रज्ञा पांडे

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादियों को ईट भट्ठे (प्रतिवादी संख्या 5) के संचालन को रोकने का निर्देश देने की मांग करते हुए दायर की गई है, जो प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन में संचालित किया जा रहा है।
2. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 11.02.2026 का आदेश प्रस्तुत किया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह दर्शाता है कि प्रतिवादी संख्या 5 को दिनांक 19.12.2025 को नोटिस जारी करने के बाद, कथित उल्लंघन पाए जाने पर, उक्त ईट भट्ठे को बंद करने का आदेश दे दिया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए, वर्तमान याचिका में आगे कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। अतः इसे निस्तारित किया जाता है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

फरवरी 12, 2026

संदीप/ज्योत्सना

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"